राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3   तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का अठारहवाँ दिवस   संख्या 14

शुक्रवार,
24 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 1100 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

परिवहन निगम में चालक/परिचालक के रिक्त पद

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम ।

225. श्री पेमाराम (धोद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में चालक व परिचालक के कितने पद स्वीकृत हैं? आगारवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2)स्वीकृत पदों की तुलना में किस किस आगार में कितने कितने चालक/परिचालक के कम हैं?

(3) क्या पथ परिवहन निगम में मोटर वाहन कानून की पालना की जा रही है? यदि हां, तो क्या चालक/परिचालकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार निगम में चालक/परिचालक की नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में चालक व परिचालक के आगारवार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट – 1 के कॉलम संख्या 3 व 5 पर अंकित है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में चालक व परिचालक के आगारवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट – 1 के कॉलम संख्या 4 0 5 पर अंकित है।

(3) जी हां। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के अनुसार सामान्यत: चालक/परिचालकों को साप्ताहिक अवकाश समय पर दिये जा रहे हैं, परन्तु विशेष

परिस्थितियों में आगारों में परिचालकों की कमी अथवा आगार विशेष में चालक/परिचालकों के अचानक अनुपस्थित हो जाने की स्थिति में संचालन व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने की दृष्टि से यदा-कदा चालक/परिचालकों के साप्ताहिक अवकाश बकाया रह जाते हैं। ऐसे चालक/परिचालकों को बकाया साप्ताहिक अवकाश की एवज में बाद में क्षतिपूर्ति अवकाश दे दिये जाते हैं।

(4) जी हां। भर्ती हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है और मंत्रीजी ने सबसे बड़ी बात तो यह कही है कि मोटर व्हिकल एक्ट की हम पालना करते हैं। लेकिन मेरा इनसे निवेदन है कि राजस्थान में चालक और परिचालकों की जो कमी है, उस कमी की वजह से पूरे राजस्थान में 7805 चालकों के पद स्वीकृत हैं, उनकी तुलना में 774 पद कम हैं और कंडक्टरों में 9,427 स्वीकृत हैं, उनकी तुलना में 1676 कम हैं और फिर भी सदन को असत्य जवाब देकर इन्होंने जो कहा है, वह इसलिये नहीं कि जो मोटर व्हिकल एक्ट है, उसमें 8 घण्टे से ज्यादा आप ड्यूटी ले नहीं सकते, उसमें साप्ताहिक 48 घण्टे से ज्यादा आप ड्यूटी ले नहीं सकते, उसकी आधारा 27 यह कहती है और उसकी धारा 31 यह कहती है कि आपको ओवर टाइम देना है और उसका परिणाम है कि गंगानगर में अभी एक कंडक्टर की मां मर गयी, आपने अख़बार में पढ़ा होगा, आपके पास भी रिपोर्ट आई होगी और आपने अंतिम संस्कार के लिये छुट्टी तक नहीं दी। असल में यह जो कमी है, यह आपका जो मोटर व्हिकल एक्ट है, उसकी पालना नहीं हो पा रही है। दूसरा, इसमें शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब के लिये मेरा निवेदन है कि इसमें कितना रिजर्वेशन दे रखा है। इसमें शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब के कितने चालक हैं, शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब के कितने परिचालक हैं और जो कमियां हैं, उनकी किस तरह से पूर्ति करते हैं? हालत यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक कंडक्टर और एक एक ड्राइवर को लगातार 20-20 घंटे .(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्न पूछें। ..(व्यवधान)..

श्री पेमाराम (धोद): मूल प्रश्न, मेरा यही तो कहना है कि इस कमी की वजह से मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट की पालना नहीं हो पा रही है, यह गलत है और यह जो जवाब दिया गया है, वह बिल्कुल गलत है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चालक के बारे में बताया गया है 7,800 कुल पद हैं। नियमित 6,177 हैं, दैनिक वेतनभोगी 16 हैं, अनुबन्धित 108 हैं, चालक कम ड्राइवर 834 हैं, कुल 7,135 और जो एजेन्सियों से हमने ले रखे हैं वह 967 हैं और इस समय अगर इन सबको देखकर चलें तो हमारे पास करीब करीब स्ट्रेन्थन पूरी है। यह सही है कि हमने एजेन्सियों के मार्फत 967 ड्राइवर्स को काम पर ले रखा है। जहां तक कंडेक्टर्स का ताल्लुक है, हमारे पास स्वीकृत पद 9,427 हैं, कार्यरत 7,789 हैं और बस एजेण्ट्स के रूप में 778 हमारे यहां काम कर रहे हैं। यह सही है कि कुछ कंडेक्टर्स की

कमी है जो हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा की है कि हम इस साल, वैसे हमको 2,375 पदों की भर्ती के लिये कहा है, लेकिन इस साल हमारी योजना के मुताबिक 7,793 कर्मियों की भर्ती इस साल की जायेगी। कुल 2,375 पदों की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में की है, जो कई सालों बाद की गयी है। माननीय सदस्य ने रूल्स के लिये मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट की बात की। मैं अध्यक्षजी, आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि यह सही है कि 8 घंटे रोजाना और 48 घंटे वीकली काम में लिया जाना चाहिये और विशेष परिस्थितियों में 10 घंटे रोजाना वीकली लिया जाना चाहिये। यह सही है कि चूंकि पिछले दिनों में भर्ती नहीं हुई तो आवश्यकता पड़ने के उपरान्त विशेष परिस्थितियों में कंडक्टर्स व ड्राइवर्स से ज्यादा काम लिया जा रहा है, इसमें कोई दोराय की बात नहीं है, लेकिन निर्धारित समय से अधिक काम करने पर चालक या परिचालकों को अधिक परिश्रम करने का भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति के समय एक साथ दिया जा रहा है। नम्बर दो जो चालक और परिचालक ओवर टाइम काम करता है, ओवर टाइम का पेमेन्ट उसकी सेवानिवृत्ति पर दे रहे हैं और जिसको छुट्टी नहीं दी जाती है तो उसकी छुट्टी की क्षतिपूर्ति बाद में कर दी जाती है।

श्री पेमाराम (धोद): इसमें आपने एक तो यह नहीं बताया जो आपके यहां कंडेक्टर्स और ड्राइवर्स मौजूद हैं उनके रिजर्वेशन की क्या स्थिति है? शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब की जो कमी है, क्या उनको पूरा करेंगे? और दूसरा, ओवर टाइम का आपने कहा। ओवर टाइम जब रिटायरमेंट लेगा,बाकी विभाग में ऐसा नहीं है। एक एक कंडक्टर से, एक एक ड्राइवर से बीस-बीस घंटे काम ले रहे हो। चालक कम परिचालक, यह नई पोस्ट कहां से आई, इसको रेगुलर क्यों नहीं कर देते हो आप? आप कह रहे हो कि हमने ले ही रखा है चालक कम परिचालक, यह किसी दिन का नहीं है, न ऊपर का है, न नीचे का है, यह बीच में लटका हुआ है। यह कौनसा आदेश है, कौनसा सरकुलर है? मैंने सारा पढ़ा है, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ पाया। इसलिये मेरा निवेदन इसमें यही है कि ओवर टाइम जो आप तब कह रहे हो, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा ओवर टाइम दे ही रहे हो तो मंथली तनख्वाह के साथ उसको क्यों नहीं दे देते?

Solanki/usc/24.07.2009/11.10/1b(1)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें उठायी हैं, एक तो ओवर टाइम समय पर देना चाहिए, सही है कि हम नहीं दे पाये क्योंक राजस्थान रोडवेज 602 करोड़ के घाटे में चल रहा है। और घाटे की स्थिति की वजह से यह सही है कि हम समय पर उसका पेमेन्ट हम नहीं कर पाये लेकिन उसकी सेवानिवृत्ति के टाइम पर उसका पैसा दिया जा रहा है। नम्बर दो, आपने जो भर्ती की बात उठायी, चालक परिचालक की भर्ती 2004 में हुई थी।

श्री पेमाराम (धोद): रिजर्वेशन?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): मुझे पूरा जवाब देने दें। भर्ती 2004 में हुई थी। यह तो मैं नहीं जानता कि उनको क्यों नहीं रेगुलराइज किया गया लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे जितने भी पद भरे गये थे, उनको रेगुलराइज किया जाएगा।

श्री पेमाराम (धोद): किया जाएगा?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): हां।

श्री पेमाराम (धोद): और एस सी और ए सटी का रिजर्वेशन। ...(व्यवधान)

मैंने प्रश्न पूछ लिया है इसका जवाब दिलवा दें साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि रोडवेज में मृतक कर्मचारियों की लड़कियों को कण्डक्टर के पद पर राज्य सरकार ने लगा रखा है? यदि हां, तो रोडवेज में महिला कण्डक्टर पद को सही ढंग से चला सकती हैं? अध्यक्ष महोदय, नहीं चला सकती। मृतक कर्मचारी की जो लड़की है, वह कण्डक्टर के पद पर है, वह नहीं चला सकती। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चला सकती है। चला सकती है।...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है? ये महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ड्राईवर बीस घंटे गाड़ी चला सकता है? और यदि चला सकता है तो क्या उसको नींद आती है या नहीं आती है? क्या इस नींद से दुर्घटना होती हैं?

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बिराजें। ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): आरक्षण के बारे में बता दें क्या पोजीशन है? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बिराजें एक मिनट। श्री मंगला रामजी क्या कह रहे हैं?

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि क्या ड्राईवर बीस घंटे गाड़ी चला सकता है और अगर चला सकता है तो क्या उसको नींद नहीं आती है? क्या यह सही है? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बिराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के जवाब में कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में रोडवेज में पता नहीं कितने हजार भर्ती करने के लिए कहा है। क्या यह रोडवेज की स्वायत्तता पर अतिक्रमण नहीं है?

श्री अध्यक्ष: नहीं है। आप बिराजें। ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप मेरी एक बात सुन लें। रोडवेज की वित्तीय सहायता से गवर्नमेंट करती आयी है। यह तो हमने देखा है परन्तु रोडवेज मैनेजमेंट की बिना मर्जी के

मुख्य मंत्रीजी उनसे पूछते कि कितने पद चाहिए, कितने पद नहीं। ऐसी कभी घोषणा हुई है क्या आज तक? ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप खुद इस विभाग के मंत्री रहे हो, 51 परसेंट राजस्थान सरकार का शेयर है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): शेयर है लेकिन...... ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): शेयर होने की वजह से सारा अधिकार हमारे पास है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। मंत्रीजी, बिराज जाएं। ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): रोडवेज आटोनोमस बाड़ी है। वह स्वयं निर्णय करती है। मुख्य मंत्रीजी नहीं कर सकते।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का क्या हुआ? माननीय परिवहन मंत्रीजी ने एस सी और एस टी के आरक्षण के बारे में जवाब नहीं दिया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा...... ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): प्रश्न संख्या 226. ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय राजस्व मंत्रीजी । मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। बिराज जाएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बैकलॉग के बारे में बता दें। ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आगे जाने बाकी हैं। ज्यादा समय नहीं है। माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा।

जिला अलवर की सिवाय चक, चरागाह तथा मंदिर माफी की भूमि पर अतिक्रमण

226. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में वर्तमान में कुल कितनी बीघा भूमि सिवाय चक, चारागाह व मंदिर माफी की रिक्त है एवं उक्त में से कितनी भूमि पर अतिक्र है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से उक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूकिम से अनाधिकृत कब्जा हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): (1) अलवर जिले में कुल 1,07,207.82 हैक्टेयर सिवायचक भूमि है जिसमें से 2327.34 हैक्टेयर पर अतिक्रमण है तथा शेष 1,04,880.48 हैक्टेयर रिक्त है। अलवर जिले में कुल 24,222.87 हैक्टेयर चारागाह भूमि है जिसमें से 600.03 हैक्टेयर पर अतिक्रमण है तथा शेष 23,622.84 हैक्टेयर रिक्त है।

मंदिर माफी की भूमि मंदिर की खातेदारी की भूमि है जो अनाधिवासित भूमि की परिभाषा में नहीं आती है। मंदिर की खातेदारी की भूमि का सरिकार्ड पृथक से संधारित नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं। सिवायचक भूमि एवं चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की सेचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 19576 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण को हटवाया जाता है। सिवायचक भूमि एवं चारागाह भूमि से अतिक्रमाणों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय मंत्री महोदय, आपने आंशिक रूप से स्वीकारा है कि अतिक्रमण है परन्तु अधिकारियों के द्वारा जो आपको रिपोर्ट दी गयी है जिसका अभी आपने वाचन किया है, यह बिलकुल गलत है। अलवर जिले में 90 प्रतिशत भूमि चारागाह और सिचायचक की जमीन पर लोगों का कब्जा है और वर्षो से यह कब्जा है। अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ का उदाहरण देता हूं। साडोली पंचायत में 160 बीघा चारागाह और सिवायचक की जमीन पर कब्जा है, ओटवाल में लगभग 150 बीघा, वगड़ राजपूत में लगभग 42 बीघा, ये दोनों सिचायचक और चारागाह हैं, पिपरोली में 127, धौली में 200, खोरिसपुर में 80 बीघा और सहदमपुर में 129 है। सभी पंचायतों और सभी गांवों में सिवायचक और चारागाह की जमीन है। यहां तक कि जो श्मशान अलॉटेड नहीं है लेकिन चारागाह और सिवायचक में लोगों ने बनाये हैं। उन श्मशान और कब्रिस्तानों पर कब्जा किया हुआ है। उनकी लोगों ने जमीन तक नहीं छोड़ी। पहले से ही गांव वालों ने बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में यह रिपोर्ट, 1,07,207.82 हैक्टेयर, अब उसमें से सिर्फ 2327.34 पर कब्जा है। यह बिलकुल असत्य और गलत रिपोर्ट है। आप फिर से इसकी जांच करवायें।

इसके साथ ही आपने जो चारागाह का बताया वह 600.03 हैक्टेयर पर है, यह भी गलत है। ये दोनों गलत हैं। इसके बारे में फिर से जांच करवाने का कष्ट करें।

मंदिर माफी का जो अपने कहा है कि मंदिर माफी की जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन अलवर जिले में मंदिर माफी की जमीनों की रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसकी भी आप जांच करायें। मेरा आपसे यह प्रश्न है। आपने कहा कि राजस्व अधिकारियों की सतत प्रक्रिया है। कोई सतत प्रक्रिया नहीं है। 1956 की धारा 91 में नोटिस तो देते हैं लेकिन खुर्द बुर्द कर देते हैं वर्षानुवर्ष। वगड राजपूत में तो जब मैं पहले एम एल ए था तब पटवारी गिरदावर ने रिपोर्ट दी थी कि इन लोगों का बीस साल से तीस साल से कब्जा है। ऐसी स्थिति में पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर मिले हुए हैं। आज तक स्टिल टुडे। तो क्या आप विशेष दल बनाकर उस अतिक्रमण की जांच करवायेंगे? और क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? मेरा आपसे सीधा सवाल है । जो रिपोर्ट आपके पास गलत आयी है, क्या इसकी भी आप जांच करवायेंगे? इन दोंनो पूरक प्रश्नों के लिए उत्तर अपेक्षित है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रामगढ़ के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पूरे जिले में है साहब। सभी तहसील और विधान सभा क्षोत्रों में है। रामगढ़ की तो चूंकि मुझे विस्तृत जानकारी है इसलिए आपको दिया है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पहले रामगढ़ की बता दूं फिर आप कहेंगे तो पूरे जिले का भी बता दूंगा। जहां तक रामगढ़ का सवाल 556 केस दर्ज हुए और जमीन 234.34 हैक्टेयर प्रस्तावित हुई। चार सौ साठ केसों का निस्तारण कर दिया गया, निर्णय हो चुका है जिसके द्वारा 186.97 हैक्टेयर का अतिक्रमण हटा दिया गया है। अब लम्बित 66 केस हैं जिनके अन्तर्गत 47.47 हैक्टेयर भूमि आती है। इसके अलावा आप जैसा बता रहे हैं, कोई अतिक्रमण है उसके विरुद्ध 91 की कार्यवाही करके उसको बेदखल किया जाता है। कई बार बेदखल करने के बाद फिर वह दुबारा अतिक्रमण कर लेता है।

महेन्द्र/चौहान/1120/1c/24072009/1

और जब वापस दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं तो सब्सीक्वेंट ट्रेस पास करने पर उसको तीन माह की सज़ा का भी 91 में प्रावधान है। तो सज़ा भी उसको दी जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह बात सही है कि अतिक्रमण के मामले पूरे प्रदेश में जहां भी सरकार जमीन है लोगों की उस पर बहुत नजर रहती है कि येन-केन-प्रकारेण उस पर कब्जा किया जाय।

माननीय सदस्य, कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसी जमीन जिस पर अतिक्रमण केवल कागजों में वो हटाने का बता देते हैं या वहां से हटे नहीं या दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं, इस प्रकार के जो भी मामले हों, मुझे आप लिखित में दे दें, मैं उसकी विस्तृत जांच करवा दूंगा और जांच करवाने में अगर किसी अधिकारी ने उसमें कोई जान-बूझकर उसका अतिक्रमण हटाया नहीं, केवल कागजों में ही अतिक्रमण हटाना बताया है, इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आयेगा, किसी अधिकारी की गलती मानी गयी तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, उसको दण्डित किया जायेगा। क्योंकि यह जब तक केस टु केस या कोई भी पर्टिकुलर जमीन के बारे में आप नहीं बतायेंगे तब तक उसमें अलग से देख नहीं सकते, वैसे जनरल, सतत् प्रक्रिया है, प्रावधान है कानून में, नियमों में, कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसको 91 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर के बेदखल किया जाता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा। एक पंचायत समिति वगड राजपूत में पिछले वर्ष कलेक्टर साहब को लिख कर देने पर एस.डी.एम. ने खड़ी हुई हरी फसल को पूरे के पूरे 42 बीघा में उजाड़ दिया और उसके अन्दर बुलडोजर फिरवा दिया और कब्जा अभी तक भी बरकरार है वगड राजपूत गांव का। यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक साथ ही दे दें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इनका जवाब दूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य स्वयं ने स्वीकार कर रहे हैं कि कलेक्टर ने खड़ी फसल पर बुल्डोजर फिरवा दिया, नष्ट कर दी, कब्जा हटा दिया, फिर उसने कर दिया। वो ही बात माननीय सदस्य कह रहे हैं जो मैंने कहा। मैंने कहा कि कि दोबारा वो अतिक्रमण कर लेते हैं क्योंकि जमीन के ऊपर लोगों की आजकल बहुत नजर है और वो सरकारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। यह बात सही है। अब वो सरकारी जमीन हड़प नहीं सकें इसके लिए सैक्शन 91 का प्रावधान किया हुआ है और इसके तहत कार्यवाही होनी चाहिए और कार्यवाही में कोई ढिलाई बरतता है और कोई जान-बूझकर किसी को जमीन देने के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, आप मुझे लिख कर के देओ।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय मंत्रीजी, यह पिछले सरकार के टाइम की बात है, आपके सरकार के टाइम की बात नहीं है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब आपके सचेतक बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आपने अपने उत्तर में सिवायचक भूमि पर 2327 हैक्टेयर में और चारागाह पर 600 हैक्टेयर में, यानी 2900 हैक्टेयर में आपने दोनों किस्म की भूमियों पर अतिक्रमण माना है और इसके साथ अपने यहां अपने उत्तर में कहा कि आपने जो अतिक्रमण हटाये हैं वो सिर्फ 186 बीघा में हटाये हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लम्बित मामले बताये उसमें भी सिर्फ 47 बीघा जमीन का बताया, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जहां अतिक्रमण हैं, क्या आप विशेष अभियान चला कर इस सारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कोई योजना विचाराधीन आपके पास है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 186.97 का जो मैंने बताया वो तो केवल रामगढ़ तहसील का बताया। मैंने आंकड़े दिये वो पहले मैंने पूरे जिले के दिये और पूरे जिले के बारे में आप जानकारी करनी चाहें तो 2611.45 हैक्टेयर जमीन पर कब्जा हटाया है, कुल 5164 कैसेज का डिस्पोजल किया है। 5592 केसेज दर्ज हुए पूरे जिले में उसमें से 5164 केसेज का निर्णय हो चुका है, बेदखली की कार्यवाही हो चुकी है बाकी 428 केसेज आज भी पैंडिंग हैं जिस पर निर्णय होना शेष है जिससे 315.92 हैक्टेयर जमीन प्रभावित होती है।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में पंचायत स्तर पर राजस्व शिविर लगाने की जो घोषणा की है उसके तहत प्रत्येक पंचायत स्तर पर राजस्व शिविर लगाये जायेंगे और उसमें इस तरह के जो भी प्रकरण आयेंगे और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी उस शिविर में उपस्थित रहें और जो भी इस प्रकार की समस्या हों, चाहे अतिक्रमण की हो, चाहे राजस्व से सम्बन्धित और भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, वो वहां पर उस शिविर में रखें और हमारे जो भी अधिकारी वहां पर जायेंगे वो उसका मौके पर ही निस्तारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मान सिंह। अगला प्रश्न।

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में प्रस्तावित नये ट्यूबवैल-हैण्डपम्प

227. श्री मानसिंह (परबतसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु बीसलपुर परियोजना से जल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए कन्टीजेन्सी प्लान बनाया है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में क्या कार्य किया गया व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में नये ट्यूबवैल, ओपन वेल या हैण्डपम्प कहां-कहां लगाये जाने प्रस्तावित हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर की तहसील नावां के 19 ग्राम बीसलपुर-दूदू परियोजना के भाग द्वितीय, जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार दी जानी है, के तहत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सम्मिलित ग्रामों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ग्रीष्म कन्टीजेन्सी वर्ष, 2009 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, परबतसर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, परबतसर में नये ट्यूबवैल, ओपन वेल एवं हैण्डपम्प निर्माण के कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं हैं।

श्री मानसिंह (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानकारी लेना चाहता हूं कि अभी मंत्रीजी ने बताया कि परबतसर में बीसलपुर के 19 गांवों को जोड़ा जाना है जिसकी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार दी जानी है, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र में 250 गांव हैं, 19 गांवों को तो जोड़ने की बात आप करते हैं बाकी के गांवों का क्या होगा? इसमें बाकी के गांवों के लोगों में असंतोष होगा और दो भात भी होगी जिसमें आप फर्क समझ रहे हैं 19 गांव और बाकी के गांव में। एक तो इसका बताएं।

इसके साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र का जो शहरी क्षेत्र है, जो बीसलपुर की लाइन आ रही है उससे मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर है जिसका खर्चा मात्र 30-35 लाख रुपये है, इस नाम मात्र के खर्चे में क्या परबतसर कस्बे को जोड़ना उचित नहीं है?

एक साथ में इसकी स्वीकृति, आपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बतायी, इसकी कोई समय सीमा है क्या? यह समय सीमा हमें बताएं, कब तक यह कर दी जायेगी? खण्ड एक।

खण्ड दो में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि मंत्रीजी ने सरकार आते ही 31 दिसम्बर, 20098 को एक पत्र जारी किया, उसमें सभी नये जो काम हैं उन सब पर रोक लगा दी। यह रोक क्यों लगा दी? क्या वो जो योजनाएं स्वीकृत हुई हुई थीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों के लिए थी? वो सब ग्रामीण वासियों के लिए थी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी। उन सब पर रोक क्यों लगा दी जबकि उनकी एफ.एस. जारी हो चुकी थी, वो इसी रेट में काम करने को तैयार थे। जैसा कि बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि 14 हजार करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना लागू कर कदी जिसकी कीमत जाकर के 20 हजार करोड़ हो गयी। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 हजार करोड़ में कुछ योजनाएं हो सकती हैं लेकिन बाकी तो उसी कीमत पर करने को ठेकेदार तैयार थे लेकिन उनको भी कैंसिल कर दिया। यह क्यों कर दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, जवाब देने दीजिए।

श्री मानसिंह (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्टीजेन्सी में बताया, इन्होंने कुछ लिस्ट दी है मेरे को इसमें दो-तीन जगह तो कुछ गहरा करना, दो-तीन गांवों में मात्र कुएं गहरा कराने की बात की है, दो गांवों में विद्युतीकरण के लिए कहा है और दो में गहरा कराने के लिए कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8-9 पंचायतों में ऐसे कुएं हैं जिनमें मात्र ढाई, तीन लाख रुपये लगाने थे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो आने दीजिए, इतने सारे सवाल एक साथ होंगे तो फिर जवाब कहां से देंगे।

श्री मानसिंह (परबतसर): खण्ड एक का जवाब दे दें मंत्रीजी पहले।

श्री अध्यक्ष: हां, विराजें।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस कन्टीजेन्सी के ट्यूबवैल की ...

श्री मानसिंह (परबतसर): मंत्रीजी, पहले खण्ड एक।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): खण्ड एक पर आ जायेंगे।

श्री मानसिंह (परबतसर): नहीं, 9 वाले तो बाद में हैं पहले तो यह बीसलपुर परियोजना है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सघ्भा क्षेत्र बीसलपुर से दूदू के नावां के 19 गांव हैं और इस विधान सभा क्षेत्र के 134 गांव वो नागौर लिफ्ट में सम्मिलित हैं। यह दूदू जो परियोजना है इसकी 2002 में स्वीकृति हुई थी और 216.55 करोड़ की यह योजना बनी है। इसकी तकनीकी स्वीकृति 27.12.2003 को हुई और इसकी निविदाओं को लगाने की बात चली। फिर 22.09.2004 और 02.11.2004 को 283.7 की वित्तीय स्वीकृति जारी की और जब इस योजना का आकार देखा गया...।

Ars/usc/1130/1d/24072009/1

तो यह आकार 283.7 जो प्रथम 2004 में निकाली और 11.10.07 को यह 668.87 करोड़ की हो गयी और इस परियोजना के अन्दर करीब 718 द्वितीय क्षेत्र में 804, कुल 5022 गांवों की यह योजना बनीं थी इसके लिए पिछली बार बीसलपुर और फुलेरा तक का 166.5 करोड़ रुपये की योजना बनाई गयी क्योंकि वित्तीय संसाधनों को देखते हुए शेष कार्य करने के लिए इस साल में 2009-10 में 61 करोड़ की स्वीकृति है और जो नावां के गांव हैं उनको जब भी संसाधन उपलब्ध होंगे तबउनको क्रियान्वित की जाएगी।

श्री मानसिंह (परबतसर): अध्यक्ष जी, समय सीमा बताएं कब तक।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इसी से संबंधित प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो योजना 2.87 करोड़ की थी वह लगभग 687 करोड़ की हो गयी और अगर बाद में जो चले रहे हैं वह 2100 करोड़ की योजना होगी। उसके लिए जो संसाधन हमें उपलब्ध कराने हैं, उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अगले साल की कार्य योजना में विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, अगला प्रश्न।

श्री मानसिंह (परबतसर): अध्यक्ष जी, मेरा खण्ड-2 बाकी है अभी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: इनके विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है आप बीच में ही ....

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरे से संबंधित है, बीसलपुर डेम विधान सभा .....

श्री अध्यक्ष: बीसलपुर का नहीं है, यह प्रश्न है परबतसर विधान सभा का। जब पानी पर चर्चा हो तब आप पूरी चर्चा कर लें भले ही इसमें लेकिन यह केवल प्रश्न परबतसर का है। कृपया विराजें।

श्री मानसिंह (परबतसर): अध्यक्ष जी, इसके साथ आपने बताया कि परबतसर के बाकी के गांवां को नागौर लिफ्ट से लेने का है उसका कोई बजट में नहीं है हवाला, न आपने कुछ बताया कि नागौर लिफ्ट में कैसे करेंगे, क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री अध्यक्ष: अच्छा बाकी है।

श्री मानसिंह (परबतसर): अध्यक्ष जी, मेरा खण्ड-2 बाकी है। कंटीन्जैंसी बाकी है, ट्यूबवैल हैण्डपम्प जो लगने हैं वह बाकी है। आपने पहले कहा था एक साथ...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे है।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 की जो ग्रामीण कंटीन्जैंसी योजना बनाई थी उसके अन्दर नौ ट्यूबवैल का जिनका निर्माण करना था, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति तो इनकी कर दी गयी बल्कि इनका बजट एलोकेशन नहीं किया गया । बजट एलोकेशन नहीं करने के कारण पूरे राजस्थान में जिनका बजट एलोकेशन नहीं हुआ उनको अबेंस में कर दिया। दूसरा इनकी कंटीन्जेंसी के अन्दर ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान)... अवैध कर दिया, क्या कर दिया।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): ना, ना ऐसा नहीं है।

श्री मानसिंह (परबतसर): सारे राजस्थान में कंटीन्जेंसी खतम कर दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या कर दिया, सारे राजस्थान भर में कंटीन्जैंसी की जिनकी फाइनेंशियल सैंक्शन हो गयी, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हो गयी उनको ...(व्यवधान)... कर दिया सारे के सारे ...(व्यवधान)...

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति निकाल दी परन्तु उनके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिना बजट के निकल ही नहीं सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, कंटीन्जैंसी ...(व्यवधान)...

श्री मानसिंह (परबतसर): वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद कैंसिल कर दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्वीकृति जारी होने का मतलब ही बजट का एलोकेशन है।

श्री मानसिंह (परबतसर): वित्तीय स्वकृति जारी होने के बाद में योजनाएं रद्द कर दीं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): इनके बजट प्रोवीजन से जितनी ज्यादा थी उनको अबेंस में रखा है ...(व्यवधान)... 2008-09 में इनके बजट का प्रोवीजन कम था, जितना पैसा उसके अन्दर था, हमने पूरा का पूरा पैसा उन सैंक्शन्स में दिया है और जो आगे के काम कराने के लिए हमारे पास बजट में प्रोवीजन नहीं था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। ...(व्यवधान)... श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री मानसिंह (परबतसर): अध्यक्ष जी, खण्ड-3 बाकी है।

श्री अध्यक्ष: बिराजें आप, श्री बाबूसिंह राठौड़ ...(व्यवधान)... चर्चा समाप्त। कृपया विराजें। अगला प्रश्न है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): नहीं, बिराजने से पानी की समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा ना। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा सुन लें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आबकारी मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पहली सरकार जिसने कंटीन्जैंसी प्लान बनाया नहीं ...(व्यवधान)...

श्री मानसिंह (परबतसर): अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है ...(व्यवधान)... गांव की जनता सुबह पाँच बजे हैण्डपम्प पर लगती है रात को ग्यारह बज जाते हैं महिलाओं को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा कोई।

श्री मानसिंह (परबतसर): 000

राष्ट्रीय राजमार्गो पर संचालित मदिरा विक्रय केन्द्र

228. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़):क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजकीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गो पर देशी/विदेशी शराब की दुकानें खोलने हेतु लाइसेंस जारी किये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राजमार्गो पर संचालित शराब की दुकानों पर ट्रक ड्राइवरों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटनाएं घटित होती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार राजमार्गो पर संचालित शराब की दुकानों को बंद कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि शराब की दुकानें रात 8.00 बजे पश्चात बन्दर करने के सरकारी आदेश की पालना पूर्णत: हो रही है? यदि नहीं, तो उक्त आदेशों की पालना में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) जहरीली शराब पीने से होने वाली दुखान्तिका के लिए क्या सरकार आबकारी नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री) (1) जी हां, राजकीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गो पर राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के प्रावधानों की पालना करते हुए मदिरा की दुकानें संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। संदर्भित नियम 75 के राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गो से 150 मीटर की दूरी पर मदिरा की दुकान स्वीकृत की जा सकती है। नगर परिषद, नगर निगम, नगरपालिका एवं विकसित बाजार के क्षेत्र में नियम 75 की उपरोक्त सीमा लागू नहीं होती है।

(2) राजमार्गो पर घटित होने वाली दुर्घटनाओं के अनेकों कारण होते हैं। शराब पीकर वाहन चलाना भी इसमें एक कारण हो सकता है। राजमार्गो पर संचालित दुकानें नियमानुसार स्वीकृत हैं। अत: इनको बंद करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(3) जी हां, शराब की दुकानें रात 8.00 बजे बन्दर करने के आदेश की पूर्च पालना की जा रही है।

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: यह भी एट पी एम पर दुकानें बंद करने में स्ट्रिक्ट हैं ...(व्यवधान)...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): रात को टेलीफोन पर सप्लाई होती है उस पर तो पाबंदी नहीं है, टेलीफोन पर जो सप्लाई होती है रात को ...(व्यवधान)... उस पर

श्री अध्यक्ष: यह माननीय सदस्य आपका कोई मैनेजमैंट होगा ऐसा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): (4) जहरीली शराब के कारण होने वाली दुखान्तिकाएं दुर्घटना स्वरूप होती हैं। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है। इस हेतु राज्य में आबकारी विभाग, आबकारी (प्रवर्तन) विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त अभियान संचालित कर शराब के अवैध आयात को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

अवैध शराब का व्यवसाय एक सामाजिक बुराई होने के कारण इस व्यवसाय में लिप्त लोगों को शिक्षित व जागृत कर इससे विमुख करने हेतु एक योजना, जिसे नवजीवन कहा गया है, भी वित्त वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गयी है जिसमें ऐसे परिवारों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। अत: इस बारे में पृथक से नीति बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खण्ड-1 में नेशनल हाईवे पर 150 मीटर से अधिक पर दुकानें लगाने का प्रावधान किया है। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ का जो नेशनल हाईवे है उसके अन्दर कई स्थानों पर खारी बेरी, बालेसर, पडलूफाटा, अडतीस मील, 150 मीटर के अन्दर दुकानें लगी हुई हैं क्या नेश्ंनल हाईवे पर जो 150 मीटर के अन्दर दुकानें लगी हुई हैं उनका सर्वे करवाकर के उनको हटाने का विचार रखती है।

दूसरा, जो दुकानें आपने कम की हैं, बंद की हैं तो देशी शराब की कितनी दुकानें बंद की हैं उसका भी आप उल्लेख करें, कितनी कम की हैं उसका उल्लेख करें। शराब पीकर वाहन चलाने से कई दुर्घटनाएं हुईं, मेन पृष्ठों पर अखबारों में खबरें आयी हैं और पिछली बार भी कई जगह जैसे हमारे बालेसर के अन्दर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले सत्रह अनुसूचित जाति के लोगों की मौत हो गयी, सोजत में गांव के अन्दर जो बाबा रामदेवरा तीर्थ यात्री जा रहे थे, उसमें कई लोगों की मौत हो गयी1 तो शराब पीकर के ड्राईवर गाड़ियां चलाते हैं और वास्तव में कई लोगों की जानें उसमें जाती हैं, उनका क्या दोष है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के ऊपर आप कोई सख्त कानून बनाकर के उनके ऊपर कार्यवाही करने का विचार रखते हैं, उसके बारे में बताएं।

खण्ड-3, आपने आठ बजे के बाद दुकानें बंद करने की बात कही है लेकिन यह ईमानदारी की बात है कि हमारे यहां कई जगह पर दुकानें खुली हैं और जिनका मुख्य शटर है उसके पीछे एक और शटर खुल गया है, वहां पर शराब बिक रही है। अड़ौस पड़ौस के अन्दर पुलिस से मिली भगत करके पड़ौस में शराब बिक रही है। कई जगह पुलिस ने स्वयं ने बोगस ग्राहक बनाकर दुकानों के ऊपर भेजा कि हमें शराब चाहिए दस बजे, ग्यारह बजे,

वास्तव में उसने शटर खोलकर भी शराब दी है। जब उसको पकड़कर के लाया गया तो उसको भी रिश्वत लेकर वापस छोड़ दिया गया।

इस प्रकार की कार्यवाही हमारे विधान सभा क्षेत्र में हुई है। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि वास्तव में आठ बजे के बाद शराब मिल रही है। नहीं मिल रही है इसके उदाहरण डी एन ए, डेली न्यूज के अन्दर .....

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वो ही पूछ रहा हूं । शराब की बोतलें लेकर के खुलेआम बीयर की, दारु की बोतलें हाथ में लेकर के यह दर्शा रहे हैं, जिसमें मुख्य पृष्ठ पूरे हिन्दुस्तान में यह खबर छपी है , ऐसा नाहरगढ़ फोर्ट के अन्दर हुआ है और नाहरगढ़ फोर्ट के बाहर भी हुआ है। ऐसे लोग जो रात को आठ बजे के बाद शराब खरीदते हैं, पीते हैं और हमारे राजस्थान के अन्दर पर्यटकों को परेशान कर रहे हैं। इसमें आपको सख्त कार्यवाही करने की जरुरत है।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह मेरा खास तौर से आपसे निवेदन है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा लाइसेंस नहीं होने के बाद भी नेशनल हाईवे के ऊपर जो पर्यटक जाते हैं, जैसे हमारे जैसलमेर जाते हैं, जैसलमेर नेशनल हाईवे पर जितनी होटलें हैं, मिड वे हैं उनके अन्दर लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी अवैध शराब मिलती है, वहां पर शराब पीते हैं और पर्यटकों को परेशान किया जाता है। उसके बारे में सर्वे करवाकर ऐसी मिड वे जहां लाइसेंस नहीं है, क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): चौथा लास्ट है। जहरीली शराब के बारे में कई वारदातें हुई, कई दुखान्तिकाएं हुई हैं।

vns/usc/11.40/24.7.2009/1e/1/

और वास्तव में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि हमारे जोधपुर इलाके के अन्दर और राजस्थान में कहीं हो रहा है स्प्रीट के ढोल बहुत सस्ते मिलते हैं। थोड़ी सी बोतलों में स्प्रीट डाल करके सूनसान जगह जहां हैण्ड पम्प, खेलियां, नाड़ियां हैं उनसे पानी लेकर बोतलें भरी जाती हैं और वह स्प्रीट की दारू जगह-जगहबिक रही है। माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहां भी अभीपरसों की बात है बालेसर दुर्गातों के अन्दर स्प्रिट का ढोल पकड़ा गया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और पकड़ने के बाद जब पता किया तो वह विकलांग था। उसको लाया गया और पूछा कि आप विकलांग हो कहां से यह स्प्रिट का ढोल आया। जब जानकारी की गयी तो उनको भी लाया और एक से पच्चीस हजार, एक से पन्द्रह हजार का स्प्रीट और भी कई ऐसी वारदातें हुई लेकिन पुलिस ने जब उसका अभियान चलाकर कार्यवाही की तो उनके गिरोह पकड़ में आए। उन गिरोह से पैसा लेकर वह स्प्रीट का दारू ...(व्यवधान)... वहां के गिरोह धड़ल्ले से चला रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बिराजे, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या स्प्रीट में आप सख्त कानून बनाकर जिससे कि लोग मर रहे हैं उसके खिलाफ कार्यवाही करने जा रही है ? दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह दूसरा ही खतम नहीं हो रहा है अभी ...(व्यवधान)... जवाब तो आने दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आठवां कर लो। ...(व्यवधान)... खण्ड में दूसरा है। चौथ खण्ड का दूसरा प्रश्न। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अवैध दारू बिक रही है, अवैध व्यवसाय कर रहे हैं उनके पुनर्वास के लिये आपने नव जीवन योजना लागू करी। जोधपुर शहर में और जोधपुर की ढाणियों में कई ऐसी बस्तियां हैं सांसी बस्तियां, नट बस्तियां, हरिजन बस्तियां, कच्ची बस्तियां एवं कई मामले अवैध दारू के पकड़े गये, कच्ची दारू के पकड़े गये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बिराजे। मंत्रीजी जवाब ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): स्प्रिट दारू के पकड़े गये। क्या जोधपुर के अन्दर भी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराज कर उनको कुछ जवाब देने दीजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इस योजना को लागू करके नव जीवन योजना लागू करना चाहते हैं और ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दीजिये मंत्रीजी को। माननीय सदस्य जवाब तो देने दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या सरकार शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है ? यह आप बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी1

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फरमाया कि नगर पालिका, नगर निगम आदि क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर 150 मीटर से कम में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले यह निवेदन किया था कि नेशनल हाईवे जो नगर निगम के हैं, ग्रामीण हाट बाजार हैं या नगर पालिका क्षेत्र है, खास तौर से नेशनल हाईवे के बावजूद जो पर्टिकूलर इन एरियाज में भी

1956 के नियम 75 के तहत हमने कुछ शिथिलता दे रखी है। वह अवैध नहीं कह सकते। नियम 75 में हमने उनको शिथिलता दे रखी है कि इन-इन एरियाज में जो आइंडेटिफाईड हैं नगर पालिका, नगर निगम, ग्रामीण हाट बाजार, इनमें हमने शिथिलता दे रखी है। इनके अलावा कहीं भी यदि 150 मीटर से कम दूरी में माननीय सदस्य यदि मुझे इस बात की जानकारी देंगे तो मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि तुरन्त उस पर कार्यवाही करके उन्हें बंद कराने की मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद ...(व्यवधान)... श्री हेमसिंह भड़ाना ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूरा जवाब तो आवे ना। पूरा खण्डवाइज जवाब दे रहे हैं ना। खण्डवाइज जवाब तो आने दीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जवाब तो आने दो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बाकी है ?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सारे ही बाकी हैं अभी, 8 पूछे हैं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जोधपुर के बारे में काफी चिन्ता प्रकट की। जोधपुर में खास तौर पर इस व्यवसाय में कुछ लोग लिप्त हैं और यह देखने में आया है कि इस व्यवसाय में खास तौर से कुछ जाति विशेष लिप्त हैं। अवैध शराब के धंधे में कई बार कई तरह की दुखांतिकाएं भी हुई हैं।

मैं खास तौर से इस पूरे सदन में इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में इतने संवेदनशील हैं, उनको इतनी चिन्ता और पीड़ा हुई कि उन्होंने इसके पूरे प्रावधान किये और एक योजना बनायी नव जीवन के नाम से जिसमें 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खास तौर से माननीय सदस्य जिनकी चिन्ता है उसी क्षेत्र में जोधपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया है। मैं पूरे सदन को एंश्योर करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आपको यह लगे कि जो व्यक्ति खास तौर से इस अवैध शराब के धंधे में लिप्त है और वह स्व-विवेक से अपना यह धंधा छोड़ना चाहता है, हम अवेयरनैस कैम्प भी चला रहे हैं। हम इस कोशिश में भी हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि व्यक्ति इस अवैध शराब से अपने आपको दूर करना चाहता है जो एक ऐसी सामाजिक बुराई है उनके लिये हम अवेयरनैस कैम्प चला रहे हैं और खास तौर से हमने दो संस्थाएं नियुक्त की हैं जोधपुर में प्रथम राजस्थान और थार ज्ञान विज्ञान समिति जो एन जी ओ है जिनको हमने 40-40 हजार रुपये इस बात के दिये हैं कि वह पूरा सर्वे करे कि कौन-कौनसी ऐसी बस्तियां हैं जहां अवैध शराब का कारोबार होता है और इस सामाजिक बुराई में लिप्त हैं ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपको पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है मंत्रीजी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री हेमसिंह भड़ाना। चर्चा समाप्त ...(व्यवधान)... श्री हेमसिंह भड़ाना ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): प्रश्न का जवाब दिलाएं ...(व्यवधान).. स्प्रीट का दारू के बारे में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भड़ाना ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरे यहां स्प्रीट की दारू बिक रही है। उन्होंने यह बात कही है कि पुलिस की मिलीभगत से इस प्रकार की स्प्रीट की दारू का कारोबार करने वाले तस्करों को छोड़ा जा रहा है इस बारे में मैंने कार्यवाही चाही है ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बजट सारा जोधपुर में गया है तो फिर यह शराब भी उधर ही गयी है, शराब की बोतल ...(व्यवधान)... शराबमय हो रहा है जोधपुर ...(व्यवधान)...

प्रश्न संख्या 229

श्री अध्यक्ष: श्री हेमसिंह भड़ाना।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

डा. जसवन्त सिंह यादव। ...(व्यवधान)... खनिज मंत्रीजी ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: अनुपस्थित ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सवाल का जवाब दिलाएं अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)... अधूरा जवाब देते हैं ...(व्यवधान)... कहां हैं मंत्रीजी ? जवाब दिलाइये ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: बाथरूम गये हैं ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या हालत है देखो। कैसे लिया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: होता नहीं है क्वेश्चन आवर में ...(व्यवधान)... बिराजे। बैठिये ...(व्यवधान)... आ गये तो टाइम पर रहना चाहिये। आ गये क्या ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पोस्टपोन करो इस सवाल को ...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, सदन को कितनी गंभीरता से यह कभी नहीं ले रहे हैं। आपके सामने आज इसका चेहरा आ गया कि कितनी गंभीरता से सदन को मंत्रिमंडल ले रहा है। मुख्यमंत्री जी, कुछ तो लिहाज करो सदन का। क्या गरिमा रहेगी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप कहां गये थे अब ?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जरूरी काम से चला गया। इसके बीच में एक क्वेश्चन था ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): मंत्रीजी बिराजे। इस प्रश्न के साथ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिये। ...(व्यवधान)... जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह तो माननीय सदस्य की संतुष्टि में थोड़ा सा पूछ लिया ...(व्यवधान)...

जिला अलवर में जारी खनिज पट्टे

230. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में कौन-कौनसे खनिज का खनन किया जाता है ?

(2) गत पाँच वर्षों में सरकार द्वारा जिला अलवर में किस-किस खनिज के किस-किस व्यक्ति/संस्था को खनन पट्टे जारी किये गये ? पट्टेधारी का नाम, खनिज के नाम एवं खनन क्षेत्र, जारी करने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): (1) जिला अलवर में प्रधान खनिज सोपस्टोन, सिलिकासेण्ड, पायरोफ्लाईट, फैल्सपार, क्वार्ट्ज, बैराइट, आयरनओर, क्ले एवं अप्रधान खनिज में मारबल, चुनाई पत्थर, पट्टी कातला, ग्रेनाईट, चर्ट, चूना पत्थर, स्नेटस्टोन एवं ईंट मिट्टी का खनन किया जाता है।

(2) सरकार द्वारा गत पाँच वर्षों (वर्ष 2004-05 से 2008-09) में जिन-जिन व्यक्तियों/संस्था को खनन पट्टे जारी किये गये उनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि वन विभाग और खनिज विभाग एक ही मंत्री के पास है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है, मूल प्रश्न ?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक ही सैकिण्ड में पूछ रहा हूं कोई लम्बा चौड़ा नहीं ...(व्यवधान)... हंसना बड़ा अच्छा रहता है ...(व्यवधान)... यह तो पत्रकारों का मामला है नहीं तो सरकार की धुनाई करने के लिये तो काफी तगड़ा काम है।

एक माननीय सदस्य: कर लो।

श्री अध्यक्ष: आप तो जो करना है सो कर कराके छुट्टी करो। पूछो मूल प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है आपका ?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जोर शोर से प्रचार कर रखा है हरित राजस्थान का और मंत्री जी ने बहुत सुन्दर पत्र लिखे हम लोगों को हरित राजस्थान के लिये ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: यह प्रश्न है क्या ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप पूछने तो दें। तसल्ली तो रखें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरे जिले के अन्दर तिजारा तहसील है उसमें चौड़ासर गांव है, एक जोड़िया गांव है, मुंडावर तहसील में ततारपुर और सबसे सेंसटिव जिदोंली घाटी, वन विभाग की जमीन, वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन, अवैध खनन से पेड़ों की कटाई, सारा अवैध खनन हो रहा है, अवैध ब्लास्टिंग हो रही है सरकार के संरक्षण में और वहां के अधिकारियों की मिलीभगत से।

तो मैं तो एक छोटी सी बात ही पूछना चाहता हूं कि हरित क्रान्ति का जो सपना ले रहे हो एक तरफ तो पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध खनन, तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तिजारा के अन्दर जो अवैध खनन हो रहा है जबरदस्त तरीके से। आप चाहे जब जिस वक्त मैं पकड़वा दूं आपको। आप पकड़ सकते हैं और अधिकारी ले हर ट्रक पर पैसा। जिंदोली घाटी जो कई सौ करोड़ की बनी थी उसमें ब्लास्टिंग हो रहा है और कभी भी वह गिर सकती है। तो आप अवैध खनन को रोकेंगे ? रोकने की मंशा रखते हैं ? और रोकने की मंशा रखते हैं तो कब तक रोक देंगे ? बस मुझे यह बात ही ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, मंत्रीजी इस बात को तो स्वीकार थोड़ी कर गये कि अवैध खनन हो रहा है। वह कहेंगे तो दिक्कत पैदा होगी ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कर गये ...(व्यवधान)... यह तो मेरे पास फोटो है नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं उनको दिखा सकता हूं ना। मैं फोटो खींचकर लाया हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जब समय आया तो यह बाहर थे, इनको प्रताड़ित करो आप सबसे पहले तो ...(व्यवधान)... और हंस रहे हैं फिर आने के बाद में। क्या है यह ...(व्यवधान).. .

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही मंत्रिपरिषद् के लोग न किया करें।

श्याम/चौहान 24.07.2009 11.50 1f

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।

श्री अध्यक्ष: आप तो जवाब दीजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जवाब ही दे रहा हूं सर, पूरे राजस्थान में यह चीजें अख़बार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जिस तरह से हरित राजस्थान का एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज संसार की एक समस्या बन गयी है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, चाहे ग्लेशियर हों।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप तो इतना बता दें अवैद्य खनन रोकोगे या नहीं रोकोगे ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपने हरित राजस्थान का प्रश्न ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करोगे या नहीं करोगे ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हरित राजस्थान को पहले लूं या अवैद्य खनन को लूं ...(व्यवधान)... पहले आपने हरित राजस्थान की बात कहीं, माननीय सदस्य ने उसकी बात की है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब अवैद्य खनन होगा तो पेड़ों की कटाई होगी, जो आज आप पेड़ लगा रहे हैं वह 20 साल बाद बड़े होंगे और जो आज बड़े पेड़ हैं उनकी अवैद्य कटाई, अवैद्य खनन के कारण हो रही है तो अवैद्य खनन आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे और जो अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं, उन्होंने पत्र का हवाला दिया, हरित राजस्थान का हवाला दिया तो एक-एक पाइंट वाइज दे रहा हूं अवैद्य खनन ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुझे तो स्पेशिफिक जवाब दे दें ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप कहें तो पहले अवैद्य खनन का दे दूं ...(व्यवधान)... आप हरित राजस्थान का पूछें तो हरित राजस्थान की बात बताऊं ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, जब अवैद्य खनन हो रही है तो ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हरित राजस्थान में आपको तकलीफ क्यों हो रही है ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप तो मुझे स्पेशिफिक ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठने का एक संकल्प मुख्यमंत्री जी ने दिया है ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, मैं तो स्पेशिफिक जवाब यह चाहता हूं कि अवैद्य खनन यह बता दीजिये कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे और जो अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी या नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: जवाब दें मंत्री जी, आप स्पेशिफिक प्रश्न का जवाब दे दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हरित राजस्थान से कोई ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुझे हरित राजस्थान का नहीं चाहिए जवाब ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): तकलीफ नहीं होनी चाहिए हरित राजस्थान से ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुझे जो जवाब अवैद्य खनन पर ...(व्यवधान)... कि अवैद्य खनन हो रही है कि नहीं हो रही है और हो रही है तो उसे रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हरित राजस्थान से तकलीफ क्यों हो रही है? हरित राजस्थान एक अच्छा संकल्प लिया है मुख्यमंत्री जी ने ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इसलिए हो रही है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, जब अवैद्य खनन हो रही है, जब आप अवैद्य खनन को ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपके खुद के एरिये में ...(व्यवधान)... पूरा राजस्थान और पूरा संसार चिंतित है ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब आपके मंत्रालय में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनके द्वारा पूरक प्रश्न जो पूछा गया खाली उसका जवाब दे दीजिये ...(व्यवधान)... वह यह चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरवीन करना चाहता हूं, मंत्री जी जवाब दूसरा दे रहे हैं, आप दूसरा पूछ रहे हैं, पोस्टपोंड करवा दें दुबारा जवाब दे देंगे ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं जवाब दे रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अवैद्य खनन के प्रश्न का खून हो रहा है, कहां हरित की बात है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष जी, आसन को निर्देश दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो पूछे गये स्पेशिफिक पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अवैद्य खनन की बात कही, उससे पहले इन्होंने हरित राजस्थान का पूछा ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): फिर वही बात ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इसलिए मैंने कहा हरित राजस्थान ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हरित राजस्थान वन विभाग के संबंध में ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हरित राजस्थान पूरे संसार की जो बात आयी ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मुझे हरित राजस्थान पर जवाब नहीं चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इस पर जो कदम उठाये, इस पर आपको तकलीफ हो रही है ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उसमें अवैद्य खनन की बात कही है ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सदस्य को हरित राजस्थान का पूछना ही नहीं है ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, अगर आपको टाइम पूरा खराब करना है तो करायें ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप भी पूछते हो ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पोस्टपोंड करायें इसको, यह जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: हरित राजस्थान से लाल मिर्च क्यों लग रही है ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हरित राजस्थान एक अच्छा कदम है उसके बारे में याद आपने किया, मैं तो माइनिंग का पूरी तैयारी के साथ प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, जवाब दीजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): लेकिन इन्होंने पत्र के बारे में, हरित राजस्थान के बारे में जानकारी ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप इसको बाद में करना कि पहले यह बतायें कि अवैद्य खनन जो हो रही है सरकार के संरक्षण में ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपको इससे जलन क्यों हो रही है, हरित राजस्थान से जलन क्यों हो रही है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जिससे पेड़ों की कटाई हो रही है, अवैद्य खनन से पेड़ों की कटाई हो रही है ...(व्यवधान)... अवैद्य खनन से पेड़ कट रहे हैं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सारे एनजीओ, सारे इनकी पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता लोग हमारे से पेड़ मांग रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इनका जवाब देना चाहिए, यह जवाब देने के बजाय भागने की कोशिश कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अवैद्य खनन सरकार की मिलीभगत से हो रही है ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उसको यह बुरा मान रहे हैं ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, सरकार के संरक्षण में अवैद्य खनन हो रहा है ...(व्यवधान)... इसलिए मंत्री जी इस प्रश्न को टाल रहे हैं ...(व्यवधान)...

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): बड़े-बड़े पेड़ कट रहे हैं, कहने का अभियान है ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ही प्रश्न को पढ़ लें, क्या खनिज राज्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट, मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ, श्री कालीचरण सराफ।

अधिस्वीकृत पत्रकारों की सुविधाओं में वृद्‌वि

231. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1). क्या यह सही है कि सरकार द्‌वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों को सुविधायें मुहैया कराई जाती है? यदि हां तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2). क्या सरकार पत्रकारों को प्रदत्त सुविधाओं में वृद्‌वि करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...(व्यवधान)... मैं एक मिनट बीच में निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): रूल्स की बात कर रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य नहीं हैं, आप बिराज जायें। कृपया आप बिराज जायें। मुझे प्रश्न लेने दीजिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक मिनट कह रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बिराज जायें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बीच में यह क्वेश्चन लेना ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जन सम्पर्क मंत्री जी, अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

श्री अध्यक्ष: जन सम्पर्क मंत्री।

राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) जी हां। अधिस्वीकृत पत्रकारों को सरकार द्‌वारा प्रदत्त सुविधाओं की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2009-10 के बजट में पत्रकारों के लिए दुर्घटना एवं मेडिक्लेम पॉलिसी कराने की घोषणा की गयी है। इसके लिए प्रीमियम का 75 प्रतिशत का अंशदान पत्रकार कल्याण कोष से किया जायेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से उन्होंने अपना ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है ...(व्यवधान)... नहीं, अध्यक्ष महोदय हम इनको नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं सुनेंगे इनको ...(व्यवधान)...

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप जायें, जिस प्रकार उन्होंने हरित राजस्थान के बारे में पूछा है, जवाब उस पर आना चाहिए था, स्थगित करने का सवाल ही क्या होता है ...(व्यवधान)... कोई कारण नहीं था सवाल को स्थगित करने का ...(व्यवधान)...

अनेक माननीय सदस्य: बैठ जायें, आपसे नहीं पूछा है ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह जवाब दे रहे थे, अवैद्य खनन के बारे में भी जवाब दे रहे थे उसको स्थगित करने का प्रश्न ही क्या होता है ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हम आपको बोलने कैसे देंगे ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या मजाक है ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह नाटकबाजी मत करें आप ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इस तरह से थोड़े ही होता है अभी ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह नाटक मत करें आप ...(व्यवधान)... यह नाटक बंद करें आप।

एक माननीय सदस्य: आपसे नहीं पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपका प्रश्न ही नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हम भी नहीं बोलने देंगे तीनों को ...(व्यवधान)... नहीं बोलने देंगे तीनों को ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या हो रहा है ...(व्यवधान)...

(पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बिलकुल नहीं बोलने देंगे ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, आप कारण बतायें कि किन कारणों से आपने स्थगित कर दिया ...(व्यवधान)... वह जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी ही उनकी जिम्मेदारी है। सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, पक्ष और प्रतिपक्ष की ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बिराज जायें अब ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हम भी किसी को नहीं बोलने देंगे, यह क्या तरीका है ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि गृह मंत्री जी को हम नहीं बोलने देंगे तो आदरणीय मैडम जी से निवेदन है ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सुन लें, सुन लें, हमारा भी फैसला सुन लें ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय के जरिये ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारा भी फैसला सुन लो, यह हाउस है किसी की बपौती नहीं, हां बोलो, हां बोलो ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, एक मिनट बैठ जायें भाई साहब ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है, प्रश्न आना चाहिए ...(व्यवधान)... नहीं किया जा सकता है ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, आप इनको बैठायें ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: अवैद्य खनन के खिलाफ ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जब यह सुनना नहीं चाहते हैं, कल गुलाब जी खड़े हुए, सम्मान के साथ गुलाब जी भाई साहब बोले, मैं जो निवेदन कर रहा हूं किसी के सम्मान से ही कर रहा हूं ...(व्यवधान)... मैं आपको सम्मान के साथ अध्यक्ष जी के जरिये निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)... बार-बार बीच में खड़े हो जाते हैं, कल गुलाब जी भाई साहब प्रश्नकाल के दौरान नया प्रश्न लेकर के आये थे ...(व्यवधान)... उनकी बात सुनी ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय खुद नें ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जिस तरह का प्रतिपक्ष का व्यवहार है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बीच-बीच में जिस तरह से खड़े होकर के ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): प्रतिपक्ष सदन ही नहीं चलने देना चाहता है ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बैठ जायें, क्या हाउस को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री अध्यक्ष: आसन पावों पर है कृपया बिराजें, आसन पावों पर है कृपया बिराजें ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रघु शर्मा बैठ जायें। आसन पांवों पर है कृपया बिराजें ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): [000]

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें, पत्रकारों की सुविधा के संबंध में एक प्रश्न था, मैंने प्रश्न पुकार दिया था।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष जी, मैं तैयार हूं ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, नहीं होगा, आप जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं तैयार हूं स्थगित मत करिये ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पहले मंत्री का जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)... यह कोई तरीका नहीं होता है ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आसन पर बिराजे हुए सम्मानीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, पूरा जवाब दूंगा इनके चिट्ठे सामने आयेंगे ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, 269, आप पढ़कर व्यवस्था दे दें ...(व्यवधान)... हम मान जायेंगे, आपकी जो भी व्यवस्था होगी ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसमें व्यवधान डालना चाहता है सत्ता पक्ष, नहीं चाहते हैं कि जो पत्रकार राजस्थान के हैं उनको सुविधा मिले ...(व्यवधान)...

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल का जवाब दे दिया है ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क): अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल का जवाब दे दिया है ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मुझे अलाऊ करिये ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वह जवाब देना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, आप रहम दिल हैं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों से संबंधित सवाल का जवाब सरकार से चाहते हैं ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हम सब भी यही चाहते हैं ...(व्यवधान)...

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पत्रकारों के सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, 269 का व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा अनुरोध है 269 का जवाब दे दें ...(व्यवधान)...

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पत्रकारों की सुविधाओं के लिए बिलकुल सकारात्मक सोच रखती है और इनको और सुविधा के लिए और ज्यादा विचार रखती है हमारी सरकार।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष जी अलाऊ करिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): हमारी सरकार पत्रकारों की सुविधा के लिए आपसे ज्यादा सोच रखती है, इनकी सुविधा के लिए और कार्य योजना हम लेकर के आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त, आसन पावों पर, प्रश्नकाल समाप्त।

jyg/akt/24.7.9/12.00/1g

...(व्यवधान)...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यानि मंत्री डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, 269 का मैंने निवेदन किया है, सेक्रेटरी साहब को निवेदन किया है मैंने।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ठीक है आप बोल लेना तीनो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, विराजें। ...(व्यवधान)...

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में बिजली की अर्याप्त आपूर्ति होने के सम्बन्ध में।

सदन में विद्युत पर चर्चा के समय माननीय सदस्य को अपने विचार रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है। अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। ...(व्यवधान)...

2. श्री वासुदेव देवनानी एवं पाँच अन्य सदस्यों की ओर से बीकानेर के महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के बावजूद मार्कशीट नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से बीकानेर के महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के 80 हजार छात्रों को मार्कशीट नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के विषय पर कल दिनांक 23 जुलाई, 2009 को उच्च शिक्षा मंत्री महोदय सदन में वक्तव्य दे चुके हैं, ये प्रस्ताव ऐसे भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री घनश्याम तिवाड़ी एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2008 को विधान सभा द्वारा सर्व सहमति से पारित करने के उपरान्त भी उसके प्रावधान लागू नहीं होने से आम जन में असमंजस की स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री अमराराम एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से नोहर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या के हत्यारे एक सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी नहीं पकड़े जाने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राजस्थान रोडवेज वर्क्स के अपनी समस्याओं के लिए प्रदर्शन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री हेमसिंह भडाना एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से अति पिछड़े वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पहुंचाने का बिल सर्व सम्मति से पारित करने के उपरान्त भी उसका लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर मैटल्स कम्पनी को रिवाइवल करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में तो असमर्थ हूं।

9. श्रीमती अनिता भदेल एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर नगर निगम की बी पी एल 2005 की सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रपपत्र -अ उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. डॉ. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से बीकानेर नगर निगम के वार्डों का पुर्नसीमांकन नहीं कर वोटर लिस्ट बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री मोहन लाल, सदस्य की ओर से जवाहरात, गलीचा एवं हैण्डीक्राफ्टस में आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में।

12. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के आदिवासी कृषकों की भूमि का नियमन करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी प्रमुख प्रस्तावक

माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल, डॉ. गोपाल जोशी, श्री मोहनलाल एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से मेहन्दी की फसल को जीन्स की श्रेणी में लेकर फसल बीमा का लाभ एवं समर्थन मूल्य घोषित करने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

3. श्री हेमसिंह भडाना, सदस्य की ओर से थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

4. श्री मुरारीलाल मीणा, सदस्य की ओर से दौसा की नगर पालिका को नगर परिषद् घोषित करने के सम्बन्ध में।

5. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से दुर्घटनाग्रस्त मृत व्यक्ति के परिजनों को बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सहायता राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

6. श्री रामस्वरूप कसाना, सदस्य की ओर से जयपुर स्थित बाईजी की कोठी झालाना डूंगरी क्षेत्र में कली उद्योग व्यवसायियों की भूमि का नियमन करने के सम्बन्ध में।

7. श्री जयदीप डूडी, सदस्य की ओर से आयुर्वेद विभाग में संविदा चिकित्सकों का नियमितिकरण करने के सम्बन्ध में।

8. डॉ. राजकुमार शर्मा, सदस्य की ओर से नवलगढ़ शहर में सह शिक्षा व बालिका राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

9. श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से बालोतरा बाई पास सड़क हेतु किसानों की अवाप्त भूमि का उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

10. श्री ब्रजेन्द्र सिंह ओला, सदस्य की ओर से राज्य की विद्युत उत्पादन कम्पनियों में रिक्त पड़े अभियंताओं के पदों को भरने के सम्बन्ध में।

11. श्री ओम जोशी, सदस्य की ओर से राज्य के धार्मिक स्थलों की पैदल यात्रा के मार्गों के किनारे-किनारे नरेगा में बालू रेत की पट्टिका बनाने एवं छायादार वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में।

12. श्री मदनलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग की चार सिंचाई परियोजनाओं की डूब में आने वाले व्यक्तियों को भूमि का उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती अनिता भदेल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2008 के प्रावधान लागू नहीं होने से उत्पन्न असमंजस की स्थिति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव और 127 में भी एक नोटिस आपको दिया था उस पर आज आपने व्यवस्था दी है, उसको आपने माना कि लोक महत्व का विषय नहीं है, उसकी सदन में चर्चा की भी आवश्यकता नहीं है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रांत में इस समय सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य में शांति का वातावरण बना रहे। राज्य में जो सारे वर्ग हैं वह वर्ग किसी भी आंदोलन पर उतारू न हो। पाँच-सात दिन से आपने देखा होगा कि विभिन्न जातियों के लोग अनेक स्थानों पर धरना दे रहे हैं। यह कोई राजनीति की बात नहीं है, इसी सदन में कांग्रेस पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार थी, हमने इस सम्बन्ध में एक बिल पास किया था। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग जिसमें गुर्जर, समाज को शामिल किया था और उससे वंचित लोग जितने भी हैं, ब्राह्मण बणिये, राजपूत, कायस्थ, मुसलमान, सिंधी और पंजाबी, जो ओ बी सी में नहीं आते, उन सबको शामिल करके एक बिल हमने सर्व सम्मति से राजस्थान विधान सभा में पारित किया था, उसका कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया। आज वह बिल...।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह सदन नियमों के अनुसार चलता है। आपने अनिता भदेल को बुलाया है। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नियम क्या है? ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा अपने आसनों से खड़े होकर व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): आपने अनिता भदेल को बुलाया है, वह बोल रही हैं। ...(व्यवधान)... क्या आपने इनको बुलवाया है? ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): प्रतिपक्ष ने इस तरह का माहौल बना रखा है, आप देखिये। बार-बार होम मिनिस्टर के खड़े होते ही खड़े हो जाते हैं तो हम इनकी बात को भी नहीं सुनेंगे। आप बात सुनना ही नहीं चाहते। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनिता भदेल को बुलाया है, अनिता भदेल बोलती, यह बीच में बोलने वाले कौन थे? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह आसन को डिक्टेट करेंगे? ...(व्यवधान)...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... यह दुर्भाग्य है ...(व्यवधान)... आज इस राज्य में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाए रखें। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर व्यवधान व नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, यह जब चाहे तब सदन को रुकवा देते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सदन को हाइजैक कर लेते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें। ...(व्यवधान)... कृपया व्यवस्था बनाये रखें माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)... कृपया व्यवस्था बनाये रखें। ...(व्यवधान)... कृपया व्यवस्था बनाये रखें माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा
अपने आसनों से खड़े होकर व्यवधान व नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज सारा राजस्थान आंदोलित है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाये रखें। ...(व्यवधान)... कृपया व्यवस्था बनाये रखें में माननीय सदस्य सहयोग करें। ...(व्यवधान)... कृपया व्यवस्था बनाये रखें। ...(व्यवधान)... कृपया विराज जाएं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारे गृह मंत्रीजी को यह बोलने नहीं देंगे तो हम भी इनके किसी को नहीं बोलने देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): चाहे जो कह देते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमारे एक गृह मंत्रीजी को नहीं सुनेंगे तो हम इनके तीनों को नहीं सुनेंगे, तीन-तीन। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप अगर एक को नहीं बोलने देंगे तो हम तीन को नहीं बोलने देंगे, कैसे बोलते हैं देखते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हम भी नहीं सुनेंगे।

Gpc/akt/24072009/1210/1h

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया सीटों पर जाएं। ...(व्यवधान)... कृपया सीटों पर जाएं। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.13 बजे एक घण्टे के लिए स्थगित हुई)

मोहन/अरूण/24072009/1310/1o

(13.13 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह, माननीय अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2008 के प्रावधान लागू नहीं होने से उत्पन्न असमंजस की स्थिति

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर 16 जुलाई, 2008 को .....

श्री अध्यक्ष: बिराजिए, बिराजिए, बिराजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): सर्वसम्मति के साथ राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक संख्या-28 पारित किया गया था। जस्टिस शशी मोहन शर्मा की अध्यक्षता में हमने एक आर्थक पिछड़ा आयोग का गठन किया, जस्टिस जसराज चौपड़ा की अध्यक्षता में गुर्जर समाज के 5 परसेंट आरक्षण और उत्थान की योजना के लिए उच्च स्तरीय हम लोगों ने समिति का गठन किया। अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर, यह राजस्थान ही पहला राज्य है।

श्री अध्यक्ष: क्षमा करें, एक सैकण्ड।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): इसको मैं एक मिनट में निपट लूं।

श्री अध्यक्ष: काहे पर बोल रहे हैं, किस उसमें ? ......(व्यवधान)......

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): जिस इश्यु को हमने छोड़ा था, आपको अभी नहीं मालूम पडा, सर?....(व्यवधान).....पहला राज्य है जिसने आर्थिक ...(व्यवधान).....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या बात हुई? ......(व्यवधान)......

एक माननीय सदस्य: सैकड़ों आदमियों की लाशें कर दी ......(व्यवधान)......

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): यहां पर हम लोगों ने किया था...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इसी बिल से पहले बहुत लोग मरे हैं गोलियों से ......(व्यवधान)......

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): विधान सभा में सर्वसम्मति से पास होने के बावजूद ......(व्यवधान)......

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 70 आदमी मारे गये थे गुर्जरों के ......(व्यवधान)......

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): एक साल निकल गया ......(व्यवधान)......

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इतने लोगों की हत्या करने वाली सरकार, 40 हजार गुर्जरों पर जिसने जवाबी गोलियां चलाई, निहत्थे गुर्जरों को मारा ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सुप्रीम कोर्ट के माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि राष्ट्रीय शर्म कहा था ......(व्यवधान)......

एक माननीय सदस्य: राजस्थान को राष्ट्रीय शर्म के नाम से कहा था....(व्यवधान)...

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना पढ़ी हुई मानी गई।

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.16 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

skp/akt/24.7.2009/14.10/2d

(14.16 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं, (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक मिनट के लिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ..... आज सदन के अन्दर एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है.... (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ये लोग लगातार माहौल खराब कर रहे हैं, किसी को बोलने नहीं देना चाहते और हमने भी तय किया है कि यदि इसी तरह से..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...... 16 जुलाई, 2008 को इस सदन ने... (व्यवधान) विधेयक पारित किया था। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमारी जितनी मोरल ड्यूटी है उतनी मोरल ड्यूटी अपोजिशन की भी है। अपोजिशन सदन को चलने नहीं देना चाहता। हम चाहते हैं कि सदन चले। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 70 गुर्जरों को मरवाकर के आज ये वाह-वाही लूटने के लिए ड्रामा किया जा रहा है, सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है। (व्यवधान) सारा राजस्थान जानता है, गुर्जरों की छाती छलनी कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूरे चार साल तक जंगल राज हो गया राजस्थान में। जगह-जगह पुलिस फायरिंग में 70 गुर्जर मारे गये।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने...... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी बिजनैस चलने नहीं देना चाहते, ये विपक्ष की भूमिका कैसे निभा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली इस कहावत को चरितार्थ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। (व्यवधान) पहले 70 लोगों को क्यों मारा उसका जवाब दो राजस्थान की जनता को। फिर यह घड़ियाली आंसू बहाओ। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ये हर बार वैल में आते हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): प्रतिपक्ष का यही ट्रेंड बन गया है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराज जाएं। सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.20 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई।)

Jkj/akt/14.50/2h/24.07.2009

(14.50 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के इतिहास में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्षजी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 24 जुलाई, 2009 को शून्य काल में बोलने हेतु 16 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिसमें से शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गई जो निम्नवत हैं:..(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर बोलना प्रारम्भ)

1. श्री ओम बिरला – कोटा के पिकनिक स्थलों पर हो रही दुर्घटनाओं व उसके बाद के बचाव कार्यों के संबंध में।

2. श्री शाले मोहम्मद – पोकरण विधान सभा क्षेत्र में बाबा रामदेवजी के पवित्र रामसरोवर का योजनाबद्ध तरीके से विकास करवाने के संबंध में।

3. श्री पेमा राम – धोद विधान सभा क्षेत्र तथा सीकर जिले में सरकारी राशि से बने हुए ट्यूब वेल तथा टंकियों को पाईप लाईन से जोड़ कर जनता को सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में।

4. श्री महेन्द्र चौधरी – नावां-नागौर में रायल्टी, सेल्स टैक्स ठेकेदारों द्वारा की जा रही अवैध वसूली के संबंध में। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला । श्री साले मोहम्मद। श्री साले मोहम्मद । (व्यवधान)

श्री नवल किशोर (बामनवास): यह आदिवासियों के दुश्मन हैं, गुर्जरों के हत्यारे हैं, हमारे एस.टी. के दुश्मन हैं...

श्री अध्यक्ष: श्री पेमा राम । श्री पेमा राम। श्री महेन्द्र चौधरी ।

श्री नवल किशोर (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के दुश्मन हैं, गुर्जरों के हत्यारे हैं, हमारे एस.टी. के साथ अन्याय किया है इन्होने, चौपड़ा कमेटी बनाई, हम इनकी निन्दा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों के दुश्मन हैं...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री अमरा राम। (व्यवधान) श्री मंगला राम गोदारा । श्री मंगला राम गोदारा। श्रीमती अन्जू खन्गवाल। श्रीमती अन्जू खन्गवाल । श्री पेमा राम। श्री पेमा राम। श्री पवन कुमार दुग्गल । श्री पवन कुमार दुग्गल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

श्री बाबूलाल नागर। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। प्रभारी मंत्री।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अध्यादेश के जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): रख दिया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री हरजीराम बुरड़क। श्री हरजी राम बुरड़क।

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी जारी)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37 – कृषि की प्रस्तुति

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 –कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 8 अरब 70 करोड़ 21 लाख 13 हजार (रूपये आठ अरब सत्तर करोड़ इक्कीस लाख तेरह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। (व्यवधान)

मांग संख्या 39 – पशुपालन व चिकित्सा की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39- पशुपालन व चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 2 अरब 93 करोड़ 58 लाख 24 हजार(रूपये दो अरब तिरानवे करोड़ अठावन लाख चौबीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे वक्तव्य की प्रतियां सदन की मेज पर रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी। श्री प्रभुलाल सैनी। श्री ज्ञानदेव आहूजा। श्री ज्ञानदेव आहूजा। श्री महेन्द्र चौधरी। श्री महेन्द्र चौधरी। श्रीमती मंजू देवी। श्री राधेश्याम गंगानगर। श्री श्रवण कुमार। श्री भवानीसिंह राजावत। श्री मलखान सिंह।(व्यवधान)

माननीय सदस्य जो बोलने में इच्छुक हैं, कृपया शांति बरकरार करें। जो माननीय सदस्य मांग पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, कृपया बिराज जायें। (व्यवधान व नारेबाजी)

श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री अनुदान की मांग का एवं श्री गुरमीतसिंह कुन्नर, कृषि विपणन मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे वक्तव्य की दोनों विभागों की प्रतियां सदन की मेज पर रखता हूं।

मांग संख्या 37 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग सख्या 37- कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 8 अरब 70 करोड़ 21 लाख 13 हजार(आठ अरब सत्तर करोड़ इक्कीस लाख तेरह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39- पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 2 अरब 93 करोड़ 58 लाख 24 हजार (रूपये दो अरब तिरानवे करोड़ अठावन लाख चौबीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए...(व्यवधान) क्या हुआ, क्या हो गया। (व्यवधान)

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 27 जुलाई,2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.59 बजे सोमवार, दिनांक 27 जुलाई,2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)